



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

24.08.2021 को ऑर्डर सुरक्षित किया गया

01.11.2021 को ऑर्डर डिलीवर किया गया

सीआर.एम.पी. संख्या 958/2017

मेसर्स कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय वाई-65, ग्राउंड फ्लोर, हुआज खास, नई दिल्ली-110016 पर है।

एवं

कॉर्पोरेट कार्यालय 14 वीं मंजिल, बिल्डिंग 9ए, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-III, गुडगांव-122002 (हरियाणा) अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री अनुराग जडेजा, पुत्र श्री एम.एस. जडेजा, क्वार्टर नं.162, जनता कॉलोनी, गुडियारी, रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग डी.के.एस. भवन, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
2. आर.एस. चौरसिया, खाद्य निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला- कोरबा, (छत्तीसगढ़)

---उत्तरदाता

सीआर.एम.पी. संख्या 1267/2017

हरदीप सिंह, पुत्र स्व. अजीत सिंह, निवासी 5, धरम मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, डी.के.एस. भवन (रायपुर) छत्तीसगढ़
2. आर.एस. चौरसिया, खाद्य निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा, (छत्तीसगढ़)

--उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं की ओर से-

श्री राजेश बत्रा, अधिवक्ता, सीआर.एम.पी. संख्या 958/2017 और श्री अभिषेक सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री डी.एल. देवांगन, अधिवक्ता, सीआर.एम.पी. संख्या 1267/2017 द्वारा की गई।

प्रतिवादी/राज्य की ओर से:-

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, उप महाधिवक्ता।



माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास

आदेश [सीएवी]

1. चूंकि धारा के तहत दोनों याचिकाओं में कानून और तथ्यों का एक ही प्रश्न शामिल है, इसलिए उन्हें एक साथ सुना जा रहा है और इस सामान्य आदेश द्वारा दोनों ही याचिकाओं का निराकरण किया जा रहा है। (सुविधा के लिए, Cr.M.P. संख्या 958/2017 को मुख्य मामले के रूप में लिया गया है)।
2. याचिकाकर्ता - मेसर्स कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सी.आर.एम.पी क्रमांक 958/2017 में) ने द०प्र०सं० की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा द्वारा 27.11.2007 को आरोपी क्रमांक 4 हरदीप सिंह (सी.आर.एम.पी क्रमांक 1267/2017 में याचिकाकर्ता) के खिलाफ जारी जमानती वारंट और प्रतिवादी क्रमांक 2 खाद्य निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा (छ.ग.), (इसके बाद शिकायतकर्ता) द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (संक्षेप में "अधिनियम, 1954") की धारा 7(i) के कथित उल्लंघन के लिए दर्ज शिकायत को चुनौती दी गई है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 2 शिकायतकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला कोरबा, (छ.ग.) के समक्ष अधिनियम, 1954 की धारा 7(i) के कथित उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज की, जो अधिनियम, 1954 की धारा 16 (1)(ए) और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (संक्षेप में "नियम, 1955") के अंतर्गत दंडनीय हैं। प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा शिकायत में यह तर्क दिया गया है कि वह गवाह श्री राम पाल सिदार और मेसर्स आशीष जनरल स्टोर्स, टी.पी. नगर, कोरबा (छ.ग.) के मालिक श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, के साथ दिनांक 29.11.2004 को लगभग 12 बजे दोपहर में मेसर्स आशीष जनरल स्टोर, टी.पी. नगर, कोरबा (छ.ग.) के परिसर में गया था और बताया कि वहां खाद्य तेलों (संक्षेप में "विक्रेता") और इस प्रकार नेचर फ्रेश एकटी-लाइट रिफाइंड सोयाबीन ऑयल (जिसे आगे "उत्पाद" कहा जाएगा) के 1 लीटर के तीन पाउच खरीदे। "उत्पाद" के नमूने वाले लेख को तीन नमूनों में समान रूप से विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में नमूना उत्पाद का 1 लीटर पाउच था। नमूना युक्त प्रत्येक सैंपल को अधिनियम, 1954 और उसमें बनाए गए नियम, 1955 के अनुसार अलग से पैक, बांधा और सील किया गया था। विक्रेता के हस्ताक्षर एलएचए पर प्राप्त किए गए थे। पर्ची और सैंपल वाले सैंपल के रैपर को जब्त कर लिया गया। विक्रेता को फॉर्म VI में नोटिस दिया गया और सैंपल की कीमत भी विक्रेता को



29.11.2004 की विक्रेता रसीद के माध्यम से भुगतान की गई और मौके पर ही पंचनामा भी तैयार किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 2 - खाद्य निरीक्षक/शिकायतकर्ता द्वारा तैयार किए गए सभी दस्तावेजों पर विक्रेता ने हस्ताक्षर किए थे। खाद्य निरीक्षक/शिकायतकर्ता द्वारा मांगे जाने पर विक्रेता द्वारा चालान उपलब्ध कराया गया और फॉर्म VI 30.11.2004 को वितरक मेसर्स वी.के. ट्रेडर्स, स्टेडियम रोड, कोरबा को भेज दिया गया।

4. इसी तरह, खाद्य निरीक्षक/शिकायतकर्ता ने उत्पाद की निर्माता कंपनी यानी कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड/याचिकाकर्ता संख्या 1 को फॉर्म VI भेजा। आगे यह तर्क दिया गया है कि नमूने का एक प्रति-भाग सीलबंद हालत में फॉर्म VII में जापन की प्रति के साथ और फॉर्म VII में जापन की एक और प्रति सीलबंद लिफाफे में लोक विश्लेषक, रायपुर को 29.11.2004 को अलग से भेजी गई थी और नमूने के शेष दो प्रतियों को फॉर्म VII में जापन की दो प्रतियों के साथ सीलबंद पैकेट में स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, जिला कोरबा में जमा करने के लिए भेजा गया था।

5. यह भी तर्क दिया गया है कि लोक विश्लेषक ने 30.11.2004 को नमूना प्राप्त किया और 27.12.2004 से 31.12.2004 तक नमूने का विश्लेषण किया। लोक विश्लेषक ने पाया कि नमूना अधिनियम के मानकों के अनुरूप नहीं है क्योंकि नमूना उत्पाद का साबुनीकरण मूल्य 187.84 था जो निर्धारित सीमा से कम था। लोक विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसका सार नीचे दिया गया है:-

"उपर्युक्त परीक्षणों के संबंध में नमूना खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित मानकों/प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।"

6. इसके बाद, उप-नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा द्वारा 20.11.2007 को याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ वर्तमान शिकायत दर्ज करने के लिए मंजूरी दी गई। उप-नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा से मंजूरी मिलने के बाद, 27.10.2007 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष शिकायत दर्ज किये जाने पर, अधिनियम, 1954 की धारा 7(1) के कथित उल्लंघन के लिए, जो अधिनियम, 1954 की धारा 16 (1)(ए) और नियम, 1955 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में, आपराधिक मामला संख्या 1497/2007 के रूप में पंजीकृत किया गया और उसके बाद 538/2013 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। 27.10.2007 को शिकायत दर्ज करने के बाद, अधिनियम की धारा 13(ii) के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को 14.12.2007 को शिकायत दर्ज करने के बाद नोटिस जारी किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण



के लिए नमूना भेजने के लिए संबंधित अदालत के समक्ष 10 दिनों के भीतर एक आवेदन दायर करने की सलाह दी गई है। दिनांक 14.12.2007 का नोटिस नीचे उद्धृत है:

"खाद्य निरीक्षक श्री आर एस चौरसिया, मुख्यालय कोरबा द्वारा दिनांक 29.11.2004 को फर्म आशीष जनरल स्टोर, टी.पी.नगर कोरबा के प्रो. रवीन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र रामावतार अग्रवाल से लिया गया खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड सोयाबीन आइल (नेचर फ्रेस) नमूना कमांक 27/04. जो लोक विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला छ. ग. रायपुर के प्रतिवेदन कमांक SST/FTL/476/04D.N.449/SST दिनांक 01.01.05 द्वारा अपमिश्रित घोषित किया गया है। जिस पर अभियाजन स्वीकृति कमांक 02/07 दिनांक 20.11.2007 के तहत उपरोक्त प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कोरबा जिला कोरबा छ. ग. के न्यायालय में प्रकरण कमांक 1497/07 दिनांक 28. 11. 2007 को पेश किया गया है। जिसकी अग्रिम पेशी दिनांक 28.04 2008 नियत है।

उपरोक्त नमूने के द्वितीय भाग इस कार्यालय में सुरक्षित है यदि आप प्रथम जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो नोटिस प्राप्त करने के 10 दिन के अन्दर नमूने के द्वितीय भाग की जांच केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला में अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत कराने हेतु संबंधित न्यायालय को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।"

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता की ओर से उत्पाद की शेल्फ लाइफ समाप्त होने के बाद भी रेफरल प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए नमूना भेजने में देरी हुई है, क्योंकि नमूने की पैकेजिंग की तिथि 24 सितम्बर, 2004 है और उत्पाद का नमूना खाद्य निरीक्षक/शिकायतकर्ता द्वारा 29 नवम्बर, 2004 को लिया गया था, जबकि नमूने का विश्लेषण लोक विश्लेषक द्वारा 27.12.2004 से 31.12.2004 के बीच किया गया था और याचिकाकर्ता के विरुद्ध 27.11.2007 को शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत उत्पाद की शेल्फ लाइफ अर्थात पैकेजिंग की तारीख से छह महीने बाद दायर की गई थी और याचिकाकर्ता को केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, जो अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) का उल्लंघन है, जिससे याचिकाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि नवंबर, 2007 में जब शिकायत दायर की गई थी, तब उत्पाद अपनी शेल्फ लाइफ/समाप्ति तिथि से दो वर्ष और आठ महीने आगे निकल चुका था, इसलिए, कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने योग्य है।



- 8 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता द्वारा पूरी तरह से गलत धारणा के आधार पर अभियोजन शुरू किया था कि नमूना लिया गया उत्पाद मिलावटी था, जबकि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट ने केवल यह राय दी थी कि उत्पाद अनुसूची में दिए गए साबुनीकरण मूल्य के मानकों के अनुरूप नहीं है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि नमूना लिया गया उत्पाद 189 के मुकाबले 187.84 साबुनीकरण मूल्य का पाया गया, लोक विश्लेषक ने कहीं भी यह राय नहीं दी या नमूना लिया गया उत्पाद मिलावटी नहीं बताया। फिर भी मिलावट का अपराध आरोपित किया गया है जो कि अवैधता के अलावा और कुछ नहीं है।
9. उन्होंने आगे तर्क किया कि अधिनियम, 1954 की धारा 2(ia) में "मिलावटी" शब्द को परिभाषित किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता नियम, 1955 की धारा 4(9) में निहित प्रावधानों का हवाला दिये जिसमें केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों का विश्लेषण करने के लिए अपनाई जाने वाली विश्लेषण पद्धति प्रदान की गई है। उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट के अभाव में, अभियुक्त यह पहचानने में सक्षम नहीं होगा कि नमूनों का विश्लेषण करने के लिए कौन सी प्रक्रिया/विधि अपनाई गई है, और यह याचिकाकर्ता के हितों के विरुद्ध होगा। आगे यह तर्क दिया गया है कि खाद्य निरीक्षक/शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ गलत तरीके से कार्यवाही शुरू की है क्योंकि न तो शिकायत में और न ही सार्वजनिक विश्लेषक रिपोर्ट में, नमूना उत्पाद को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया था।
10. उन्होंने आगे कहा कि आरोपी क्रमांक 4 हरदीप सिंह (यहां सीआरएमपी संख्या 1267/2017 में याचिकाकर्ता) जिसे शिकायतकर्ता ने कंपनी के निदेशक के रूप में शिकायत में नामित किया है, के खिलाफ 28.04.2008 को गिरफ्तारी वारंट जारी करना, गलत है क्योंकि हरदीप सिंह 2007 तक कंपनी का कर्मचारी था और हरदीप सिंह का कंपनी से कोई संबंध नहीं है। वह अलग पते पर रह रहा है और किसी भी स्तर पर उसे समन नहीं दिया गया। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को कोई समन नहीं दिया गया क्योंकि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 9 दिसंबर, 2002 से डीएलएफ गेटवे टावर्स, डीएलएफ सिटी फेज III, गुडगांव, हरियाणा, 122002 से 13 अब्दुल फजल रोड, नई दिल्ली, 110001 में स्थानांतरित कर दिया गया है, 9 अगस्त, 2007 से 111, रेक्टेंगल-1, साकेत जिला केंद्र, नई दिल्ली और 8 जुलाई, 2016 से वाई -65, ग्राउंड फ्लोर, हौज खास, नई दिल्ली 110016 में स्थानांतरित कर दिया गया है और कंपनी का कॉर्पोरेट कार्यालय अक्टूबर, 2007 से 11 वीं मंजिल, डीएलएफ गेटवे टावर्स, डीएलएफ साइबर सिटी, चरण III, गुडगांव, हरियाणा, 122002 से 14 वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 9 ए, डीएलएफ साइबर सिटी, गुडगांव -122002 में स्थानांतरित कर दिया गया है, इस प्रकार, वर्तमान कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और आरोपी की अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी, बल्कि उचित समन की तामिल न होने के कारण थी। उन्होंने अंत में यह तर्क किया कि



आरोपी नंबर 4 हरदीप सिंह के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और कंपनी के खिलाफ अधिनियम, 1954 की धारा 7 (i) के उल्लंघन के लिए कार्यवाही, जो अधिनियम, 1954 की धारा 16 (1) (ए) और नियम, 1955 के तहत दंडनीय है, कृपया रद्द किया जाए। उन्होंने ने अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में निम्नलिखित मामले प्रस्तुत किए: शिव कुमार उर्फ शिवालामल नारुमल चुगवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य¹, गिरीशभाल दहियाभाल शाह बनाम सीसी जानी एवं अन्य², रवींद्र चोपड़े बनाम मध्य प्रदेश राज्य³, मैरिको लिमिटेड एवं अन्य बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य⁴, आईटीसी लिमिटेड एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य⁵, रामेश्वर दयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य⁶, दिल्ली नगर निगम बनाम घीसा राम⁷, मेसर्स कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य⁸, अहमद दबाभाई अडवाणी बनाम महाराष्ट्र राज्य⁹, मेसर्स के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भरोसा जताया। गुरुलक्ष्मी फूड प्रोडक्ट्स, गुंटूर बनाम ए.पी. राज्य¹⁰, श्री श्रवण कुमार अग्रवाल बनाम ए.पी. राज्य¹¹, एम. दुर्गा राव बनाम ए.पी. राज्य¹², डी. राम मूर्ति बनाम खाद्य निरीक्षक, पेरम्बरा सर्कल, वडकारा और अन्य¹³, मेसर्स हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य¹⁴ और संदीप तिवारी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य¹⁵

1. 2010 एस सी सी ऑनलाइन बॉम 844

2. (2009) 15 एस सी सी 64

3. विविध अपराधिक मामला क्र. 5366/2011, निर्णय दिनांक 07.01.2013

4. 2015 एस सी सी ऑनलाइन डेल 7162

5. एम.सी.आर..सी. क्र. 9934/2011, निर्णय दिनांक 29 मार्च, 2012

6. 1995 सैप (4) एस सी सी 659

7. एयर 1967 एस सी 970

8. सी.एम.पी. नं. एम-28799/2012 (ओ.एवं एम.), दिनांक 8.8.2013

9. 1991 सप्प (2) एस सी सी 652

10. 2010 एससीसी ऑनलाइन एपी-45

11. 2009 (2) एफ ए सी 366

12. सीआर.आर. क्र. 412/2006, निर्णय दिनांक 11.03.2011

13. 2012 एस सी सी ऑनलाइन केर 3703

14. 2009 एस सी सी ऑनलाइन छ. 163

15. सी.आर.एम.पी. क्रमांक 1050/2019, निर्णय दिनांक 23.11.2020



- 11 इस न्यायालय ने 01.08.2017 को याचिका स्वीकार करते हुए निचली अदालत के समक्ष लंबित आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और रोक अब तक जारी है।
12. राज्य ने अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि सार्वजनिक विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ने 30.11.2004 को नमूना प्राप्त किया और उप निदेशक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, कोरबा ने अपने पत्र दिनांक 14.12.2007 के माध्यम से विक्रेता रवींद्र कुमार अग्रवाल, विकास अग्रवाल, स्वामी, विकास ट्रेडर्स, स्टेडियम रोड, टी.पी. नगर, कोरबा, मिस. कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डी.एल.एफ गेटवे टावर्स, डी.एल.ओ.एफ को अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) के तहत नोटिस भेजा था। सिटी फेस 111, गुडगांव 122002, हरियाणा और श्री हरदीप सिंह, निदेशक और नामिती सी.आई.पी.एल., 11" फ्लोर, डी.एल.एफ. गेटवे टावर्स, डी.एल.एफ. सिटी, फेस III, गुडगांव, पिन कोड 122002. हरियाणा को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए। अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) के तहत नोटिस की प्रति रिटर्न के साथ संलग्न है।
- 13 आगे यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) की अपेक्षा के अनुसार, अभियोजन शुरू करने के बाद, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण विश्लेषण की रिपोर्ट की एक प्रति ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को अग्रेषित करेगा जिसके खिलाफ अनुलग्नक आर-1 के तहत अभियोजन शुरू किया गया है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचित करते हुए कि यदि ऐसा वांछित है, तो ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा रखे गए खाद्य पदार्थ के नमूने का केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण कराने के लिए रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय में आवेदन कर सकता है और इस प्रकार याचिकाकर्ता के इस तर्क से इनकार किया जाता है कि वर्तमान मामले में वर्तमान याचिकाकर्ता सहित अभियुक्तों को ऐसा कोई नोटिस/रिपोर्ट कभी जारी नहीं की गई थी, यह आगे तर्क दिया गया है कि अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) में निहित अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन किया गया है और उत्पाद का पुनः विश्लेषण कराने के याचिकाकर्ता के अधिकार का निवारण किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) के अनुसार याचिकाकर्ता को दी गई उपरोक्त स्वतंत्रता के बावजूद, याचिकाकर्ता केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता के माध्यम से उत्पाद की जांच करने में विफल रहा है। इस प्रकार, रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाए कि याचिकाकर्ता ने नमूना प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। इसलिए, रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी का सवाल ज्यादा महत्व का नहीं है।
- 14 यह भी तर्क दिया गया है कि लोक विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर की दिनांक 1.1.2006 की रिपोर्ट के अनुसार नमूना अधिनियम, 1954 के मानकों के अनुरूप नहीं था और यह मिलावटी है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपी व्यक्तियों को पक्षकार प्रतिवादी बनाए बिना वर्तमान याचिका दायर की है, इसलिए, आवश्यक पक्षों के शामिल न होने के आधार पर वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिका



अत्यंत विलंब के आधार पर भी खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि वर्तमान आपराधिक शिकायत वर्ष 2007 में दायर की गई थी और वर्तमान याचिकाकर्ता/कंपनी के खिलाफ जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वे पेश नहीं हुए और लगभग 10 वर्षों की अत्यधिक देरी बीत जाने के बाद वर्तमान याचिका दायर की गई है। आगे यह तर्क दिया गया है कि खाद्य निरीक्षक/शिकायतकर्ता ने उप निदेशक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से कंपनी के नॉमिनी का नाम पूछा है, जिन्होंने याचिकाकर्ता-कंपनी के निदेशक और नॉमिनी के रूप में श्री हरदीप सिंह का नाम सूचित किया है, इसलिए, क्या याचिकाकर्ता अपराध की तिथि पर नॉमिनी था या कोई अन्य व्यक्ति बदले हुए पते का नॉमिनी था, यह तथ्य का प्रश्न है और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका के चरण में, उपरोक्त विवादित तथ्यों के बारे में पूछताछ करना संभव नहीं है क्योंकि यह तथ्यात्मक मैट्रिक्स है, जिस पर केवल ट्रायल कोर्ट के समक्ष ही निर्णय लिया जा सकता है। रिटर्न में आगे यह तर्क दिया गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कोरबा की अदालत के समक्ष लंबित आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति असाधारण प्रकृति की है और इसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए। अपने निवेदन के समर्थन में, राज्य के अधिवक्ता ने झंडू फार्मास्युटिकल वोक्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद शराफुल हस्क के मामले में 2005 (1) एससीसी 122 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवलंब लिया ।

15. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।
16. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाला बिंदु यह है कि क्या धारा 13(2) का अनुपालन न करने पर धारा 1954 के तहत मामला दर्ज किया जाना उचित है? क्या केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किए गए "उत्पाद" के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण, अधिनियम, 1954 की धारा 7(1) के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थ के वितरण के अपराध के लिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार देता है?
17. मामले के तथ्यात्मक सार पर विचार करने से पहले, अधिनियम, 1954 के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ लेना उचित होगा। अधिनियम, 1954 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह स्पष्ट किया गया है कि इसके अधिनियमन से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के विषय पर कई राज्य कानून थे, लेकिन इनमें एकरूपता का अभाव था। इसलिए एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता महसूस की गई जो अन्य बातों के साथ-साथ एक समान प्रक्रिया और 'केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला' के गठन का प्रावधान कर सके, जिसके पास विवादित मामलों में अंतिम राय के लिए खाद्य नमूनों को भेजा जा सके।
18. अधिनियम, 1954 की धारा 8 में किसी स्थानीय क्षेत्र में खाद्य नमूनों का विश्लेषण और परीक्षण करने के उद्देश्य से केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक विश्लेषक की नियुक्ति का प्रावधान है। धारा 9 में अन्य बातों के साथ-साथ उन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है, जहां खाद्य पदार्थ निर्मित या बेचे जाते हैं और विश्लेषण की आवश्यकता वाले खाद्य



पदार्थों को जब्त किया जाता है। धारा 14ए में खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं को उस व्यक्ति का नाम और अन्य विवरण प्रकट करने का आदेश दिया गया है, जिससे खाद्य पदार्थ खरीदा गया था, यदि खाद्य निरीक्षक ऐसा चाहता है।

19. धारा 11 विश्लेषण के लिए खाद्य नमूने लेते समय खाद्य निरीक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया का पहला चरण न केवल विक्रेता को बल्कि उस व्यक्ति को भी तुरंत मौके पर सूचित करना है जिसका विवरण धारा 14ए के तहत प्रकट किया गया है (जिसमें याचिकाकर्ता जैसे वितरक/विपणक शामिल होंगे), कि विश्लेषण के लिए नमूना भेजा जा रहा है। फिर नमूने को तीन भागों में विभाजित किया जाता है-जबकि पहला भाग सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा जाता है, अन्य दो भागों को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास आकस्मिकता के रूप में जमा किया जाता है, यदि पहला भाग खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है।
20. अधिनियम, 1954 की धारा 13 में लोक विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद अपनाई जाने वाली अनुवर्ती प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो नीचे उद्धृत है:

"(1) लोक विश्लेषक, विहित प्ररूप में, विश्लेषण के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किसी खाद्य पदार्थ के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि खाद्य पदार्थ मिलावटी है, (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनसे खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया था और उस व्यक्ति के विरुद्ध, यदि कोई हो, जिसका नाम, पता और अन्य विवरण धारा 14क के अधीन प्रकट किया गया है, अभियोजन की संस्थिती के पश्चात, विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को भेजेगा तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचित करेगा कि यदि वह ऐसा चाहे तो उनमें से कोई एक या दोनों स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा रखे गए खाद्य पदार्थ का केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण कराने के लिए रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।



(2 बी) उप-धारा 2(ए) के तहत स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण से नमूने के भागों के भाग की प्राप्ति पर, न्यायालय पहले यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में प्रदान किए गए चिह्न और सील या बन्धन बरकरार हैं और हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसा भी मामला हो, और भाग को या नमूने के भागों में से एक को अपनी सील के तहत केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक को भेजेगा जो विश्लेषण के परिणाम को निर्दिष्ट करते हुए नमूने के भाग की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर निर्धारित प्रपत्र में न्यायालय को एक प्रमाण पत्र भेजेगा।

(3) उपधारा (2 ख) के अधीन केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा जारी प्रमाणपत्र, उपधारा (1) के अधीन लोक विश्लेषक द्वारा दी गई रिपोर्ट का स्थान लेगा।"

21. इसलिए, अधिनियम, 1954 की धारा 13 का उद्देश्य उन अभियुक्त व्यक्तियों को, जिनके विरुद्ध लोक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम 1954 के अंतर्गत अभियोग चलाया जाता है, केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा प्रासंगिक खाद्य नमूने का परीक्षण करवाने का दूसरा अवसर देना है। चूँकि केन्द्रीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट को लोक विश्लेषक की रिपोर्ट पर वरीयता प्राप्त होगी, इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों के लिए यह एक मूल्यवान अवसर है कि वे इसका अनुपालन न करने के कारण आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति का दावा करें।

22. इस प्रकार, अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अवलोकन से एवं अधिनियम की योजना के अनुसार, अभियुक्त को धारा 11 के तहत पूर्व सूचना दी जानी चाहिए कि उनके द्वारा निर्मित और/या बेचे गए खाद्य पदार्थ के नमूने सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं। 1954 के अधिनियम में वर्तमान मामले जैसी स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई है, जहां नमूना विश्लेषण के लिए भेजा जाता है, और सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट भी तैयार की जाती है, लेकिन विपणक को कई साल बाद सूचित किया जाता है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है। ऐसी अवधि के दौरान, खाद्य पदार्थ प्रकृति में नाशवान होने के कारण संभवतः केंद्रीय प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण के लिए नहीं भेजा जा सकेगा, जो याचिकाकर्ता/अभियुक्त के अधिकार का उल्लंघन होगा।



23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम बनाम धीसा राम, एआईआर 1967 एससी 970 में यह स्थापित किया है कि जहां अभियोजन शुरू करने में अत्यधिक देरी के कारण धारा 13(2) के तहत अधिकार से वंचित किया गया है, वहां यह माना जाता है कि इससे अभियुक्तों को गंभीर नुकसान पहुंचा है, इसलिए लोक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर उनकी सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 9 में निम्न प्रकार से माना है।

"9. वर्तमान मामले में, नमूना 20 सितंबर, 1961 को लिया गया था। सामान्यतः अभियोजन पक्ष के लिए नमूना लेने के 17 दिनों के भीतर लोक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त करना और अभियोजन पक्ष को संस्थित करना संभव होना चाहिए था। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त करने में भी देरी हुई, क्योंकि लोक विश्लेषक ने वास्तव में 3 अक्टूबर, 1961 को नमूने का विश्लेषण किया और 23 अक्टूबर, 1961 को अपनी रिपोर्ट भेजी। यह माना जा सकता है कि लोक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण करने और अभियोजन पक्ष को अपनी रिपोर्ट भेजने में कुछ देरी अवश्य हुई होगी। अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी देरी हमेशा की जा सकती थी, और परिणामस्वरूप, प्रतिवादी को दिए गए नमूने में परिरक्षक मिलाने की प्राथमिक सावधानी खाद्य निरीक्षक द्वारा आवश्यक रूप से बरती जानी चाहिए थी। यदि ऐसी सावधानी बरती गई होती, तो प्रतिवादी के पास मौजूद नमूना चार महीने की अवधि के लिए केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा विश्लेषण के लिए उपलब्ध होता, जो कि समाप्त हो जाती। 20 जनवरी, 1962 के आसपास। लोक विश्लेषक की रिपोर्ट 23 अक्टूबर, 1961 को अभियोजन पक्ष को भेज दी गई थी, इसलिए अभियोजन पक्ष को समय रहते ही शुरू किया जा सकता था, ताकि प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके, बिना उसके नमूने के खराब होने से बाधा उत्पन्न हुए। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने मुकदमा शुरू करने में अत्यधिक देरी की।



अभियोजन पक्ष ने 23 मई, 1962 को शिकायत दर्ज की थी, और इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट जारी होने के लगभग सात महीने बाद अदालत में शिकायत क्यों दर्ज की गई। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा मामला है, जिसमें अभियोजन पक्ष के आचरण के कारण प्रतिवादी को केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा अपने नमूने की जांच करवाने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के अवसर से वंचित किया गया। ऐसे मामले में, हमें लगता है कि प्रतिवादी यह दावा करने का हकदार है कि अभियोजन पक्ष के आचरण के परिणामस्वरूप अधिनियम द्वारा गारंटीकृत इस मूल्यवान अधिकार से वंचित करने की इस परिस्थिति से उसकी सजा को नुकसान पहुंचा है।

24. गिरीशभाई दह्याभाई शाह बनाम सी.सी. जानी (2009) 15 में रिपोर्ट किया गया एससीसी 64 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट अभियुक्त को भेजने में देरी, जिससे वह अब 1954 अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पुनः परीक्षण के लिए आवेदन करने की स्थिति में नहीं है, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का हकदार होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा 7, 8 और 9 में निम्नानुसार माना है।

"7. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 13(1) और(2) इस प्रकार है:

"धारा 13. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट। (1) लोक विश्लेषक, ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को विश्लेषण के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किसी खाद्य पदार्थ के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि खाद्य पदार्थ मिलावटी है, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनसे खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया था और उस व्यक्ति के विरुद्ध, यदि कोई हो, जिसका नाम, पता और अन्य विवरण धारा 14 ए के अधीन प्रकट किया गया है, अभियोजन संस्थित करने के पश्चात, 12



विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को अग्रेषित करेगा, तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचित करेगा कि यदि वह ऐसा चाहे तो उनमें से कोई एक या दोनों स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा रखे गए खाद्य पदार्थ के नमूने का विश्लेषण केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला से कराने के लिए रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।"

8. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उपधारा (1) के अधीन लोक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही कि खाद्य पदार्थ मिलावटी है, अभियोजन चलाया जा सकता है और रिपोर्ट की प्रति प्राप्त की जा सकती है। आरोपी को आपूर्ति की गई। उप-धारा (2) में यह भी इंगित किया गया है कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियुक्त, यदि चाहे तो, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा रखे गए खाद्य पदार्थ के नमूने का केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण कराने के लिए रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

9. दूसरे शब्दों में, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को 17 जुलाई, 1989 से पहले दूसरे नमूने के विश्लेषण के लिए आवेदन करने से रोका गया था, जिस समय तक दही का दूसरा नमूना खराब हो चुका था और विश्लेषण के योग्य नहीं था, जैसा कि ऊपर उल्लिखित घीसा राम (सुप्रा) के मामले में पाया गया था।"

25. इस प्रकार, यह प्रथम दृष्टया स्थापित है कि दही का नमूना नियम (1955) के मद ए. 11.02.04 में निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं था, जिसे नियम (1955) के मद संख्या ए. 11.01.11 के नीचे तालिका में निर्धारित गुजरात के लिए गाय के दूध के मानक के साथ पढ़ा गया है और नमूना मिलावटी पाया गया। आवेदक के विद्वान वकील द्वारा शिकायत दर्ज करने में देरी, विश्लेषक को नमूना भेजने, न्यायालय द्वारा 46 दिनों की देरी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना सोचे-समझे मंजूरी दिए जाने के बारे में उठाए गए अन्य सभी तर्क विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष उठाए जा सकते हैं और सभी तर्क बचाव के दायरे में हैं, जिसके लिए संबंधित न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने और उनकी सराहना किए जाने की आवश्यकता है। आवेदक के विद्वान वकील का यह तर्क कि विद्वान मजिस्ट्रेट



का न्यायालय लगभग 6-7 वर्षों से कार्यात्मक नहीं था और आवेदक उस न्यायालय के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही के बारे में अनभिज्ञ था, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का आधार नहीं हो सकता है।"

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

"वर्तमान मामले में उपर्युक्त परीक्षण लागू करते हुए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या सबसे पहले, अपीलकर्ता धारा 13(2) के तहत केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा जेली के परीक्षण के लिए आवेदन करने का हकदार था; दूसरे, क्या अधिकार से इनकार करना प्रतिवादियों की गलती थी और तीसरे, क्या ऐसा इनकार अपीलकर्ता के मामले के लिए प्रतिकूल है। पहले बिंदु के संबंध में, प्रतिवादियों ने सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है, जिसमें कहा गया है कि जेली में 'चीनी/सुक्रोज' है, ताकि 1954 अधिनियम की धारा 2(ix)(g) के तहत गलत ब्रांडिंग के लिए शिकायत दर्ज की जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैकेजिंग पर लेबल का दावा है कि जेली 'चीनी रहित'।

इसलिए, जेली के नमूने में चीनी के रूप में एक घटक मौजूद है या नहीं, इस पर सार्वजनिक विश्लेषक का निष्कर्ष अपीलकर्ता के खिलाफ 'गलत ब्रांडिंग' के अपराध को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, अपीलकर्ता को जेली के नमूने की सामग्री पर केंद्रीय प्रयोगशाला से दूसरी राय के लिए धारा 13 (2) के तहत आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए था।"

दूसरे बिंदु के संबंध में, हमारा मानना है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने, पहली बार में, जेली के विपणनकर्ता के बारे में खुदरा विक्रेता से पूछताछ न करके गलती की, जबकि उसे 1954 के अधिनियम की धारा 14 ए के तहत ऐसा करने का अधिकार था। अगर उसने ऐसा किया होता, तो अपीलकर्ता को 2008 में ही सूचित किया जा सकता था कि जेली को विश्लेषण के लिए ले जाया जा रहा है। भले ही इस चूक को माफ कर दिया जाए, लेकिन एक बार जब खुदरा विक्रेता ने प्रतिवादियों को सूचित कर दिया था कि अपीलकर्ता जेली का विपणनकर्ता है, तो उन्हें धारा 13(2) के अनुसार, जेली के नमूने में पाई गई कथित अनियमितता के बारे में अपीलकर्ता को सूचित



करने में अधिक प्रयास करने चाहिए थे। हमें प्रतिवादियों की इस दलील में कोई दम नहीं दिखता कि अपीलकर्ता को सूचित करने में देरी इसलिए हुई

16 एस.एल.पी. (सीआर.) संख्या 3995/2018 दिनांक 29.11.2019 को निर्णय लिया गया

क्योंकि अपीलकर्ता जानबूझकर नोटिस देने से बच रहा था। भले ही रिटेलर द्वारा प्रस्तुत पता अपीलकर्ता की इंदौर शाखा का था, लेकिन जेली की पैकेजिंग पर लगे लेबल पर स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि संचार के लिए आधिकारिक पता "अलकेम हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013" होगा। इसलिए भले ही इंदौर शाखा से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही हो, प्रतिवादी अपीलकर्ता के मुंबई पते पर सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट का विवरण भेजने का प्रयास कर सकते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों की लापरवाही के कारण अपीलकर्ता ने धारा 13(2) के तहत जेली के नमूने का पुनः परीक्षण करवाने का अपना मौका खो दिया।

अंत में, तीसरे बिंदु के संबंध में, यह सच है कि धारा 13(2) का अनुपालन न करना हर मामले में घातक नहीं होगा, अगर यह पाया जाता है कि नमूना अभी भी विश्लेषण के लिए उपयुक्त है (टी. वी. उस्मान बनाम खाद्य निरीक्षक, तेल्लीचेरी नगर पालिका, तेल्लीचेरी, (1994) 1 एससीसी (754)। हालांकि प्रतिवादियों ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि जेली के नमूने का शेल्फ जीवन, सभी संभावनाओं में, इस स्तर पर समाप्त हो गया होगा। इसलिए हम पाते हैं कि यह धारा 13(2) के तहत उनके मूल्यवान अधिकार से इनकार करने के कारण अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

27. इस न्यायालय ने संदीप तिवारी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 17 के मामले में पैराग्राफ 30 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

*30. अंत में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित कानून के उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों को पलटते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का 1954 के अधिनियम की धारा 13(2) के तहत केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा दूसरे नमूने का विश्लेषण कराने का मूल्यवान अधिकार समाप्त हो गया है क्योंकि प्रश्नगत उत्पाद 'ब्रू इंस्टेंट कॉफी चिकोरी मिस्ट्योर' का निर्माण मार्च, 2008 में किया गया था और यह पैकेजिंग की तारीख से 18 महीने पहले सर्वोत्तम था और उसके बाद प्रश्नगत उत्पाद ने अपना शेल्फ जीवन खो दिया था



क्योंकि इसका उपयोग सितंबर, 2009 से पहले किया जाना था, और शिकायत 27/04/2010 को क्षेत्राधिकार वाली आपराधिक अदालत के समक्ष दायर की गई थी, इस प्रकार, याचिकाकर्ता को 1954 के अधिनियम की धारा 13(2) के तहत केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला से उत्पाद के दूसरे नमूने का पुनः विश्लेषण करवाने के अपने मूल्यवान और अपरिवर्तनीय अधिकार से वंचित किया गया है क्योंकि केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक की रिपोर्ट 1954 के अधिनियम की धारा 13(3) के आधार पर लोक विश्लेषक की रिपोर्ट का स्थान लेती है और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन में खुद का बचाव करने में बहुत अधिक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है, इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरा अभियोजन केवल इस छोटे से आधार पर रद्द किए जाने योग्य है।"

28. विभिन्न उच्च न्यायालयों ने एक ही दृष्टिकोण को दोहराया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से यह आवश्यक है कि वह प्रश्नगत उत्पाद के शेल्फ जीवन के दौरान पीएफए अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) के अंतर्गत नमूने को केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में भेजने के लिए अभियुक्त को अवसर प्रदान करे, यदि अभियुक्त को ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध चलाए गए अभियोजन में अपना बचाव करने में भारी पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है और केवल इसी आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध चलाया गया संपूर्ण अभियोजन रद्द किए जाने योग्य है।

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित कानून के उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, इस न्यायालय को यह जांचना है कि अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) का उल्लंघन हुआ है या नहीं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता पर पीएफए अधिनियम, 1954 की धारा 7(i) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया है, जो अधिनियम, 1954 की धारा 16(1)(a) और नियम, 1955 के तहत दंडनीय है, जिसमें आरोप है कि याचिकाकर्ता-कंपनी ने मिलावटी सोयाबीन तेल का निर्माण किया है और इसे अपने स्टॉकिस्ट के माध्यम से वितरित किया है। अधिनियम, 1954 की धारा 2(ia) में "मिलावटी" शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"[ia] "मिलावटी" - किसी खाद्य पदार्थ को मिलावटी माना जाएगा -

(a) यदि विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु क्रेता द्वारा मांगी गई प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता की नहीं है और उसके लिए प्रतिकूल है, या वह उस प्रकृति, पदार्थ या



गुणवत्ता की नहीं है जो वह होने का दावा करती है या जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता है;

(b) यदि वस्तु में कोई अन्य पदार्थ है जो उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है, या यदि वस्तु को इस प्रकार संसाधित किया गया है कि उस पर नुकसान पहुंच सकता है,

(c) यदि किसी घटिया या सस्ते पदार्थ को उस वस्तु के स्थान पर पूर्णतः या भागतः प्रतिस्थापित किया गया है, जिससे उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है,

(d) यदि वस्तु का कोई घटक पूर्णतः या आंशिक रूप से इस प्रकार निकाला गया हो कि उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव पड़े,

(e) यदि वस्तु अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में तैयार, पैक या रखी गई थी, जिससे वह दूषित हो गई है या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गई है;

(f) यदि वह वस्तु पूर्णतः या भागतः किसी गंदे, सड़े, सड़े, विघटित या रोगग्रस्त पशु या वनस्पति पदार्थ से बनी हो या उसमें कीट लगे हों या वह मानव उपभोग के लिए अन्यथा अनुपयुक्त हो;

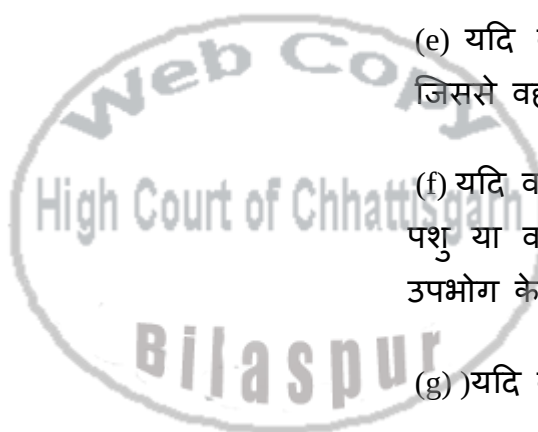
(g) यदि वस्तु किसी बीमार पशु से प्राप्त की गई हो;

(h) यदि वस्तु में कोई विषैला पदार्थ या अन्य घटक हो जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता हो;

(i) यदि वस्तु का पात्र पूर्णतः या भागतः किसी विषैले या हानिकारक पदार्थ से बना है, जिससे उसकी सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है।

(j) यदि उस वस्तु में उसके संबंध में विहित रंग पदार्थ के अलावा कोई अन्य रंग पदार्थ विद्यमान है, या यदि उस वस्तु में विहित रंग पदार्थ की मात्राएं परिवर्तनशीलता की विहित सीमाओं के भीतर नहीं हैं:]

(k) यदि वस्तु में कोई निषिद्ध परिरक्षक या निर्धारित सीमा से अधिक अनुमत परिरक्षक शामिल है;





(l) यदि वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से कम है या उसके घटक ऐसी मात्रा में मौजूद हैं जो परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमाओं के भीतर नहीं है, किन्तु जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाती है:]

(m) यदि वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से कम है या उसके घटक ऐसी मात्रा में मौजूद हैं जो परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमाओं के भीतर नहीं है, किन्तु जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बनाती है:-

परन्तु जहां प्राथमिक खाद्य पदार्थ होने के कारण किसी वस्तु की मात्रा या शुद्धता निर्धारित मानकों से कम हो गई हो या उसके घटक ऐसी मात्रा में मौजूद हों जो दोनों ही मामलों में परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमाओं के भीतर न हों, जो केवल प्राकृतिक कारणों से हो और मानव के नियंत्रण से परे हो, तो ऐसी वस्तु को इस उप-खण्ड के अर्थ में मिलावटी नहीं माना जाएगा।"

30. उत्पाद की पैकेजिंग की तारीख 24 सितंबर, 2004 है और उत्पाद का नमूना खाद्य निरीक्षक/शिकायतकर्ता द्वारा 29 नवंबर, 2004 को लिया गया था और नमूने का विश्लेषण सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा 27.12.2004 से 31.12.2004 के बीच किया गया था।

31. राज्य के विद्वान वकील का यह तर्क कि अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) में निहित प्रावधानों का अनुपालन हर मामले में अनिवार्य नहीं है, मामले के वर्तमान तथ्यों पर भी लागू होता है क्योंकि शिकायत दर्ज होने से बहुत पहले ही उत्पाद की शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी होती है। यदि नोटिस जारी होने के समय उत्पाद की शेल्फ लाइफ थी तो इस तर्क पर विचार किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टी.वी. उस्मान बनाम खाद्य निरीक्षक, तेल्लीचेरी नगर पालिका। तेल्लीचेरी, (1994) 1 एससीसी 754 में पीएफए अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में निहित प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद माना है कि नियम 7(3) (जैसा कि 1977 में संशोधित किया गया) केवल निर्देशात्मक है और अनिवार्य नहीं है जब उत्पाद की शेल्फ लाइफ है लेकिन शेल्फ लाइफ समाप्त हो गई है तो अनुपालन अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 11 में निम्नानुसार माना है:-

*11.नियम 7(3) में निस्संदेह "करेगा" शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह नियम अभियोजन शुरू करने से पहले के चरणों से संबंधित है और यह भी स्पष्ट है कि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि तक मामला अभी न्यायालय में संस्थित नहीं हुआ है और लोक



विश्लेषक की इस रिपोर्ट के आधार पर ही संबंधित प्राधिकारी को यह निर्णय लेना है कि अभियोजन शुरू किया जाए या नहीं। अभियोजन शुरू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और जब ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है तो 45 दिनों की अवधि को अनिवार्य मानने का कोई वैध कारण नहीं है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि तक मामला लोक विश्लेषक नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा की अनदेखी कर सकते हैं। उन्हें सभी मामलों में समय सीमा का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर किसी मामले में कुछ देरी होती है, तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि रिपोर्ट ही अमान्य है और इस आधार पर यह मान लेना कि अभियोजन भी शुरू नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि किसी मामले में अगर अत्यधिक देरी होती है, तो अदालत रिपोर्ट को कोई महत्व न दे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि समय सीमा निर्धारित है, यह नहीं कहा जा सकता कि थोड़ी सी भी देरी रिपोर्ट को अमान्य या कानून में अस्वीकार्य बना देगी। इस संदर्भ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम 7(3) केवल एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जिसका उद्देश्य जांच की प्रक्रिया को तेज करना है जिसके आधार पर अभियोजन शुरू किया जाना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) अभियुक्त को मूल्यवान अधिकार प्रदान करती है जिसके तहत अभियुक्त लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने से 10 दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि खाय पदार्थों के नमूनों का विश्लेषण केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में कराया जाए और यदि नमूना उक्त केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा समय बीतने के कारण अपघटन के कारण या अभियोजन पक्ष की ओर से चूक के कारण किसी अन्य कारण से विश्लेषण के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, तो वह मूल्यवान अधिकार अस्वीकृत हो जाएगा। यह अभियुक्त के लिए पक्षपातपूर्ण होगा और उसे बरी किए जाने का हकदार बनाएगा, लेकिन केवल देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां नमूना देरी के बावजूद विश्लेषण के लिए उपयुक्त बना रहता है क्योंकि अभियुक्त किसी भी तरह से इस तरह की देरी के संबंध में मामले के गुण-दोष के प्रति पक्षपाती नहीं है। इसलिए यह दर्शाया जाना चाहिए कि देरी के कारण धारा 13(2) के तहत प्रदत्त अधिकार से वंचित किया गया है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और नियम 7 के उप-नियम 3 में दी गई समय सीमा का उल्लंघन अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।"



32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नारायण प्रसाद साहू बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में आपराधिक अपील संख्या 1312/2021 में 29.10.2021 को निर्णय दिया है कि:-

"धारा 13 की उपधारा (2) के तहत स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के लिए सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट की एक प्रति उस व्यक्ति को अग्रेषित करना अनिवार्य है, जिससे खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया है, ऐसी विधि से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। धारा 13 की उपधारा (2) का आगे का अधिदेश यह है कि जिस व्यक्ति को रिपोर्ट भेजी जाती है, उसे सूचित किया जाना चाहिए कि यदि वह ऐसा चाहे, तो वह रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूने का विश्लेषण करवाने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। जिस व्यक्ति से खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया था, उसके खिलाफ अभियोजन शुरू करने के बाद रिपोर्ट अग्रेषित की जानी आवश्यक है। रिपोर्ट सही नहीं है, यह तर्क देने के आरोपी के अधिकार के अलावा, उसे यह अधिकार भी है कि वह रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूने का विश्लेषण करवाने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों के भीतर न्यायालय में आवेदन करके विश्लेषण के लिए नमूने को केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में भेजने का विकल्प दिया गया है। यदि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति अभियुक्त को नहीं दी जाती है, तो धारा 13 की उपधारा (2) के तहत नमूना केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में भेजने की प्रार्थना करने का उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। परिणामस्वरूप, रिपोर्ट को चुनौती देने का उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। उसका अपना बचाव करने का अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। विजेंद्र (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने माना कि अभियुक्त की रिपोर्ट का मात्र प्रेषण धारा 13 की उपधारा (2) की आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन नहीं है और रिपोर्ट अभियुक्त को अवश्य दी जानी चाहिए।"

33. राज्य द्वारा दाखिल रिटर्न से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी इस बात पर विवाद नहीं कर रहे हैं कि शिकायत दर्ज करने की तिथि पर उत्पाद का शेल्फ जीवन पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए यह अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) के तहत केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला से उत्पाद के दूसरे नमूने का विश्लेषण कराने के उसके बहुमूल्य अधिकार से वंचित करने के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला है।



34. उपर्युक्त कानूनी विश्लेषण के मद्देनजर, मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि याचिकाकर्ताओं अर्थात् मेसर्स कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हरदीप सिंह के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रदत्त अधिकारिता के तहत रद्द किए जाने योग्य है। परिणामस्वरूप, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) के समक्ष लंबित आपराधिक मामला संख्या 383/2014 (छत्तीसगढ़ सरकार आर.एस. चौरसिया, खाद्य निरीक्षक बनाम रविंद्र कुमार अग्रवाल और अन्य) जहां तक यह मेसर्स कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। और आरोपी संख्या 4 हरदीप सिंह को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।
35. तदनुसार, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर दोनों याचिकाओं को ऊपर उल्लेखित सीमा तक अनुमति दी जाती है।



एसडी/-
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश